न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सत्य नारायण–I (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 83/2021 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2021/149**
दायर दिनांक :– 14.07.2021 **निर्णय दिनांक :– 27.04.2026**

1. चैनसिंह राठौड़ पुत्र जुगतसिंह जाति राजपूत निवासी रोहिणा तह. घंटियाली जिला फलोदी
2. संतोष कंवर पुत्री जुगतसिंह जाति राजपूत निवासी रोहिणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
3. ओमकंवर पुत्री जुगतसिंह जाति राजपूत निवासी रोहिणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
4. निकी कंवर पुत्री जुगतसिंह जाति राजपूत निवासी रोहिणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
5. पूजा कंवर पुत्री जुगतसिंह जाति राजपूत निवासी रोहिणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी

वादीगण.....

बनाम

1. जुगतसिंह पुत्र नरपतसिंह जाति राजपूत निवासी रोहिणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
2. शाखा प्रबन्धक आर.एम.जी.बी. शाखा तहसील आउ जिला फलोदी
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी

प्रतिवादीगण.....

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री विरेन्द्रसिंह भाटी अधिवक्ता वादीगण
2 श्री मदनसिंह भाटी अधि. प्रतिवादी संख्या 1
3 पैरोकार सरकार तहसीलदार घंटियाली

–:: निर्णय ::–

वादीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय से पेश किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 की पैतृक खातेदारी अधिकारी की काश्त भुमि ग्राम रोहिणा पटवार हल्का रोहिणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी के खसरा नम्बर 195 रकबा 13–06 बीघा, खसरा नम्बर 483 रकबा 72–16 बीघा, खसरा नम्बर 509 रकबा 258–14 बीघा कुल रकबा 344–16 बीघा अनुसार स्थित है। जिसे उक्त वाद में आगे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया जायेगा। जमाबंदी संवत 2071–2074 संलग्न वाद पेश है। उक्त वादग्रस्त भूमि ग्राम रोहिणा पटवार हल्का रोहिणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी के खसरा नम्बर 195 रकबा 13–06 बीघा, खसरा नम्बर 483 रकबा 72–16 बीघा, खसरा नम्बर 509 रकबा 258–14 बीघा कुल रकबा 344–16 बीघा पूर्व में वादीगण के दादा व प्रतिवादी सं. 1 के पिता नरपतसिंह के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। उक्त वादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पति होने से प्रतिवादी सं. 1 उनके भाईयों को जरिये नामान्तरकरण सं. 166 मौजा रोहिणा से प्राप्त हुई। उक्त वादग्रस्त भूमि पैत्रिक सम्पति है जो राजस्व अभिलेख से प्रमाणित है जिस पर वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 का अपने–अपने पैत्रिक हिस्से अनुसार कब्जा व काश्त आज दिन लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है। वादीगण ने अपने पैत्रिक हिस्से की भूमि पर अपनी अलग–अलग रहवासीय ढाणियां,

Satya
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

पानी के टांके इत्यादि बना रखे है। उक्त रहवासीय ढाणियों में वादीगण बारह ही मास अपने परिवार सहित निवास करते आ रहे है। उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी सं. 1 के ही नाम दर्ज है जबकि उक्त भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 का जन्म से ही हक व हिस्सा है और वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 का उक्त भूमि पर अपने–अपने हिस्से अनुसार कब्जा व काश्त चला आ रहा है। इसलिये वादीगण ग्राम रोहिणा पटवार हल्का रोहिणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी के खसरा नम्बर 195 रकबा 13–06 बीघा, खसरा नम्बर 483 रकबा 72–16 बीघा, खसरा नम्बर 509 रकबा 258–14 बीघा कुल रकबा 344–16 बीघा भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के साथ के संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी है जिसका यह दावा पेश है।

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया। प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब कि गया। प्रतिवादी संख्या 1 की और से अधिवक्ता श्री मदनसिंह भाटी ने वकालतनामा व इकबालिया जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ने कथन किया कि ग्राम रोहिणा पटवार हल्का रोहिणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी के खसरा नम्बर 195 रकबा 13–06 बीघा, खसरा नम्बर 483 रकबा 72–16 बीघा, खसरा नम्बर 509 रकबा 258–14 बीघा कुल रकबा 344–16 बीघा भूमि पूर्व में वादीगण एवं मुझ प्रतिवादी संख्या 1 के पूर्वजों के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज रिकार्ड थी जो पैतृक सम्पति होने से वर्तमान में मुझ प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज रिकार्ड है। अगर उक्त वादग्रस्त भूमि में मेरे साथ मेरे पुत्रों का नाम दर्ज किया जाता है मुझे किसी प्रकार का कोई उजर एतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 3 पैरोकार सरकार ने जवाब पेश कर बताया कि उक्त वादग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है, वादीगण का नाम प्रतिवादी संख्या 1 को सुनवाई का अवसर देकर प्रतिवादी संख्या 1 के साथ दर्ज कर दिया जाता है तो कोई उजर एतराज नहीं है। प्रतिवादीगण की ओर से वाद का विरोध नहीं होने से तनकीयात कायम नहीं की गई। वादी संख्या 1 के बयान पी. डब्लू–1 कलमबद्व किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। पत्रावली बहस में रखी गयी।

बहस उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ता सुनी गई। बहस में अधिवक्ता वादीगण ने कथन किया कि विवादग्रस्त भूमि ग्राम रोहिणा पटवार हल्का रोहिणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी के खसरा नम्बर 195 रकबा 13–06 बीघा, खसरा नम्बर 483 रकबा 72–16 बीघा, खसरा नम्बर 509 रकबा 258–14 बीघा कुल रकबा 344–16 बीघा स्थित है। उक्त आराजी भूमि हमारी जद्दी जायदाज है। बहस में यह भी कथन किया कि वादीगण के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया है, इस आधार पर वादपत्र को स्वीकार किया जाये। वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति साबित होने से वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवदेन किया है। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ने भी कथन किया कि वादीगण को माफिक इस्तदुआ खातेदार घोषित किया जावे।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। ग्राम रोहिणा पटवार हल्का रोहिणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी के खसरा नम्बर 195 रकबा 13–06 बीघा, खसरा नम्बर 483 रकबा 72–16 बीघा, खसरा नम्बर 509 रकबा 258–14 बीघा कुल

Satya..
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

रकबा 344—16 बीघा भूमि नामान्तरकरण संख्या 166 ग्राम रोहिणा अनुसार वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित है। पैतृक सम्पति होने से वादीगण का हक निहित है। प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता ने घोषणा बाबत् सहमति व्यक्त की है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादीगण साबित है। पक्षकरान के मध्य कोई विवाद नहीं है इसलिये प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वाद वादीगण मुताबिक सहमति के जवाबदावा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने से स्वीकृत किया जाता है।

<u>क्रियात्मक आदेश</u>

अतः वाद वादीगण मुताबिक सहमति के आधार पर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि ग्राम रोहिणा पटवार हल्का रोहिणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी के खसरा नम्बर 195 रकबा 13—06 बीघा, खसरा नम्बर 483 रकबा 72—16 बीघा, खसरा नम्बर 509 रकबा 258—14 बीघा कुल रकबा 344—16 बीघा भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ संयुक्त रूप खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादग्रस्त भूमि पूर्वानुसार रहन दर्ज रहेगी। तहसीलदार घंटियाली माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना करावें। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.04.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्य नारायण—I, R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाप

पीठासीन अधिकारी :– सत्य नारायण–I (आर.ए.एस.)

1. चैनसिंह राठौड़ पुत्र जुगतसिंह जाति राजपूत निवासी रोहिणा तह. घंटियाली जिला फलोदी
2. संतोष कंवर पुत्री जुगतसिंह जाति राजपूत निवासी रोहिणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
3. ओमकंवर पुत्री जुगतसिंह जाति राजपूत निवासी रोहिणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
4. निकी कंवर पुत्री जुगतसिंह जाति राजपूत निवासी रोहिणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
5. पूजा कंवर पुत्री जुगतसिंह जाति राजपूत निवासी रोहिणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी

वादीगण.....

बनाम

1. जुगतसिंह पुत्र नरपतसिंह जाति राजपूत निवासी रोहिणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
2. शाखा प्रबन्धक आर.एम.जी.बी. शाखा तहसील आउ जिला फलोदी
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी

प्रतिवादीगण.....

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा संख्या :– 83 / 2021

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सत्य नारायण–I पीठासीन अधिकारी व हाजिर विरेन्द्रसिंह भाटी मिनजानिब मुदई व मदनसिंह भाटी प्रतिवादी संख्या 1 मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है कि व डिगरी दी जाती है कि ग्राम रोहिणा पटवार हल्का रोहिणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी के खसरा नम्बर 195 रकबा 13–06 बीघा, खसरा नम्बर 483 रकबा 72–16 बीघा, खसरा नम्बर 509 रकबा 258–14 बीघा कुल रकबा 344–16 बीघा भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ संयुक्त रूप खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादग्रस्त भूमि पूर्वानुसार रहन दर्ज रहेगी। तहसीलदार घंटियाली माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना करावें।नीचे

मुतालिक — बाबत्

खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर — फीस सदी सालाना आज की तारीख

वसूल याबी तक — को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 27.04.2026 को जारी की गई।

Satya..

(सत्य नारायण–I R.A.S.)

सहायक कलक्टर

बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।